



2026:AHC:28359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5043/2026

इंद्रसन राय

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमित कुमार अस्थाना

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से स्वयं को पीड़ित महसूस करता है, तो उसे इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को अपील संख्या सी202415000002000 (ओमप्रकाश बनाम एस.डी.एम. न्यायिक एवं अन्य) का शीघ्रता से निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला अवर न्यायालय में काफी लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, उपर्युक्त अपील का निर्णय विधि के पूर्णतः अनुरूप करें, किंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के—बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"